भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 332
दिनांक 21 जुलाई, 2026 / 30 आषाढ़, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

अपराध के आंकड़े

332. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

श्री राहुल कस्वां:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी किए गए देश भर के विभिन्न राज्यों में अपराधों से संबंधित रिपोर्टिंग वर्ष और ब्यौरे सहित नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का एनसीआरबी के आंकड़ों को प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर जारी करना सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो इसे कब तक लागू किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एनसीआरबी द्वारा जारी नवीनतम आकंड़ों के अनुसार, अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में घटित अपराधों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रतिवर्ष तीन सांख्यिकीय प्रतिवेदन, अर्थात् 'भारत में अपराध', 'भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्याएँ' तथा 'भारत में कारागार सांख्यिकी' प्रकाशित किए जाते हैं। ये प्रकाशन एक कैलेंडर वर्ष से संबंधित आँकड़ों के संकलन पर आधारित होते हैं, अतः संबंधित वर्ष की समाप्ति के उपरांत ही आँकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। इन प्रतिवेदनों हेतु आँकड़े 36 राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों तथा 53 महानगरीय नगरों, अर्थात् 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों, से प्राप्त किए जाते हैं। नवीनतम प्रकाशित प्रतिवेदन वर्ष 2024 से संबंधित है।

आँकड़ों का संकलन ब्यूरो द्वारा विकसित एक समर्पित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के माध्यम से डिजिटल रूप से किया जाता है। आँकड़ों का संग्रहण तथा उनका समेकन/संकलन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर तथा तत्पश्चात ब्यूरो द्वारा इसी सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के माध्यम से किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों का सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित सत्यापन एवं प्रमाणीकरण तंत्र के माध्यम से विभिन्न स्तरों एवं चरणों पर व्यापक परीक्षण किया जाता है। आँकड़ों में किसी प्रकार की विसंगति अथवा असंगति पाए जाने पर उन्हें पुनः सत्यापन हेतु संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वापस भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत प्रपत्रों के अनुसार एकरूपता के साथ आँकड़े संकलित किए जाने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। ब्यूरो द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन उसकी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग): 'भारत में अपराध' प्रतिवेदन में प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अपराध दर संबंधी विवरण अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 332, दिनांक 21.07.2026

अनुलग्नक-I

2022-2024 के दौरान कॉग्निज़ेबल आईपीसी/बीएनएस क्राइम के तहत राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों - वार दर्ज मामले

क्र	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2022	2023	2024
1	आंध्र प्रदेश	158547	153867	116076
2	अरुणाचल प्रदेश	2308	2505	2479
3	असम	59315	49884	39816
4	बिहार	211079	231627	238753
5	छत्तीसगढ	73822	67961	72410
6	गोवा	2711	2094	2121
7	गुजरात	134600	170657	165419
8	हरियाणा	125435	129294	113101
9	हिमाचल प्रदेश	13231	13505	12071
10	झारखंड	48726	50187	47250
11	कर्नाटक	129461	148648	138784
12	केरल	235858	258538	184528
13	मध्य प्रदेश	298578	297689	282874
14	महाराष्ट्र	374038	385623	383044
15	मणिपुर	3029	19192	4572
16	मेघालय	2914	2730	3233
17	मिजोरम	3587	3281	2701
18	नागालैंड	1008	1050	802
19	ओडिशा	143414	170022	171193
20	पंजाब	43738	44872	47677
21	राजस्थान	236090	234985	213352
22	सिक्किम	549	511	507
23	तमिलनाडु	193913	203804	197149
24	तेलंगाना	151849	156737	190704
25	त्रिपुरा	3653	3814	2994
26	उत्तर प्रदेश	401787	428794	430552
27	उत्तराखंड	16967	17094	15853
28	पश्चिम बंगाल	156503	156237	157909
	कुल राज्य	3226710	3405202	3237924
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	460	587	522
30	चंडीगढ़	2941	3285	3621
31	डी एंड एन हवेली और दमन और दीव	1184	761	540
32	दिल्ली	300429	324257	275402
33	जम्मू और कश्मीर	25915	25127	22577
34	लद्दाख	439	459	460
35	लक्षद्वीप	64	76	47
36	पुदुचेरी	3237	3348	3515
	कुल केंद्र शासित प्रदेश	334669	357900	306684
	कुल (अखिल भारतीय)	3561379	3763102	3544608

स्रोत: भारत में अपराध